RCT 1154/22

16.01.2025

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्तगण पूर्व से अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्तगण की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्तगण को जारी गिरफ्तारी वारंट तामील/अदम तामिल वापस प्राप्त नहीं।

प्रकरण का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोग पत्र दिनांक 11.10.2022 को प्रस्तुती पश्चात से अभियुक्तगण प्रकरण में एक बार भी उपस्थित नहीं हुए है। उनकी उपस्थिति हेतु दिनांक 22.09.2023 से निरंतर गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे है, किंतु अभियुक्तगण की उपस्थिति प्रकरण में सुनिश्चित नहीं हो रही है।

प्रकरण के अवलोकन से ऐसा प्रकट होता है कि अभियुक्तगण जानबूझकर अपनी उपस्थिति से छुप रहे हैं। अतः **1.** सीता उर्फ सेतानी बाई पति शंकरलाल गिरवाल आयु 40 वर्ष, **2.** राकेश पिता शंकरलाल आयु 26 वर्ष, **3.** सुनिल पिता बाबू गिरवाल आयु 18 वर्ष, तीनों निवासीगण गढी खेडी बदनावर जिला धार को प्रकरण में फरार घोषित किया जाता है, उनके विरूद्ध स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाकर संबंधित आरक्षी केन्द्र पर भेजा जाकर उसका आमद क्रमांक संबंधित संधारित रजिस्टर में अंकित किया जावे।

प्रकरण के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट लगाया जावे कि अभियुक्त फरार है, जिससे प्रकरण को नष्ट नहीं किया जावे, सुरक्षित रखा जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आई.एस. एवं केंद्रीय आपराधिक पंजी में दर्ज कर समयावधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सीमा धाकड़
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बदनावर, जि0 धार